

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3(एन -139/2011)/अलेसे-II 204

दिनांक:- 26.6.19

आदेश संख्या 158/2019-20

श्री निर्मल कुमार जैन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (लिंक नं. 9443), कार्यालय उपकोष इन्द्रगढ़ (बूंदी) को उनकी पत्नि के द्वारा दिनांक 23.11.2015 को पुलिस थाना बौली, सवाईमाधोपुर में धारा 498-ए व 406 आई.पी.सी. धारा में दर्ज मुकदमे में दिनांक 14.12.2015 को रात्रि 10:15 बजे पुलिस हिरासत में लिये जाने के कारण विभागीय आदेश क्रमांक 25166-71 दिनांक 07.01.2016 के द्वारा दिनांक 14.12.2015 से निलंबित किया गया। कार्मिक (क-3) विभाग के परिपत्र दिनांक 07.07.2010 एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की आज्ञा दिनांक 12.01.2011 के क्रम में गठित समीक्षा बैठक दिनांक 18.06.2019 में निलंबन से बहाल किये जाने का निर्णय लिये जाने के क्रम में श्री निर्मल कुमार जैन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II को तुरंत प्रभाव से निलम्बन से बहाल करते हुए इनका पदस्थापन कार्यालय अधीक्षक, जिला कारागार टोंक में किया जाता है। उक्त आदेश वित्त (राजस्व) विभाग के पत्रांक प. 2(3) वित्त/राजस्व/2014 दिनांक 21.06.2019 के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

निलम्बन अवधि का निर्णय न्यायालय निर्णय के अधधीन रहेगा।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3(एन -139/2011)/अलेसे-II 204

दिनांक:- 26.6.19

प्रतिलिपिनिम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, बूंदी।
3. कोषाधिकारी, कोटा/ टोंक।
4. अधीक्षक, जिला कारागार टोंक।
5. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
6. उपनिदेशक (एसीपी) को वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. श्री निर्मल कुमार जैन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, कार्यालय- कोषाधिकारी टोंक।
8. गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट/विधि एवं जाँच/मासिक सूचना हेतु।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-II)